

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 861/2022

अनवान : -

1. लियाकत अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. श्याकर अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
2. जुले खां पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. जयतुन पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. बलकीशा पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता सं. 22/22 की कुल 7 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि में से ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ज्यान मोहम्मद फौत हो चुके है एवं ज्यान मोहम्मद के जाजय वारिसान पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी स0 1 की बहिने है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी स0 1 से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवाद स0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 काबिज है एवं ज्यान मोहम्मद का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। इन्ही आश्यों की वादी न्ययालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ज्यान मोहम्मद, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ज्यान मोहम्मद फौत हो चुके है एवं ज्यान मोहम्मद के जाजय वारिसान पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी सं० 1 की बहिने है। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी सं० 1 से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवाद सं० 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं० 1 काबिज है एवं ज्यान मोहम्मद का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 जे. एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता सं. 22/22 की कुल 7 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि में से ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ज्यान मोहम्मद फौत हो चुके है एवं ज्यान मोहम्मद के जाजय वारिसान पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी सं० 1 की बहिने है। प्रतिवादी सं० 2 ता 4 वादी व प्रतिवादी सं० 1 से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती

है तथा उन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवाद स0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 काबिज है एवं ज्यान मोहम्मद का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता सं. 22/22 की कुल 7 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि में से ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में ज्यान मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक14/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 861/2022

अनवान : -

1. लियाकत अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. श्याकर अली पुत्र ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
2. जुले खां पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. जयतुन पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. बलकीशा पुत्री ज्यान मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 861 सन 2022 निर्णय दिनांक 14/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 के खाता सं. 22/22 की कुल 7 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि में से ज्यान मोहम्मद के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में ज्यान मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर